जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य

बनाम

सतपाल

[2013 की सिविल अपील सं.938-39]

5 फरवरी, 2013

[पी.सतशिवम और जगदीश सिंह खेहर, जेजे.]

सेवा कानूनः

नियुक्ति-भर्ती-प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार

नियुक्ति का दावा करना,यह देखते हुए कि योग्यता सूची में उनसे ऊपर का उम्मीदवार शामिल नहीं हुआ-उनकी रिट याचिका का निपटारा अपीलकर्ता-राज्य को दावे की जांच करने का निर्देश देते हुए किया गया-राज्य ने दावा खारिज कर दिया-अवमानना याचिका-यह मानते हुए कि उम्मीदवार नियुक्ति के योग्य है और राज्य को मामले पर विचार करने और न्यायालय के आदेश के अनुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया-राज्य द्वारा एलपीए-रखरखाव योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया-अपील पर आयोजित तथ्यों के मामले में, उम्मीदवार पद पर नियुक्त होने के योग्य हैं-नियुक्ति की पेशकश कैडर की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने वाले नियमों के तहत विचार की गई अनुमेय तिथि से संबंधित होगी-

उम्मीदवार उन लोगों के ठीक नीचे वरिष्ठता का हकदार है जिन्हें उसी प्रक्रिया से नियुक्त किया गया था-वह आदेश दिनांक से वेतन का हकदार होगा।

प्रत्यर्थी ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया और अनुसूचित जाति के अंतिम योग्यता/चयन सूची में शामिल हुआ। यह जानने पर कि योग्यता सूची में उनसे ऊपर कुछ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार नियुक्ति की पेशकश के बावजूद शामिल नहीं हुए, उन्होंने एक उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति की मांग करने वाले अभ्यावेदन को संबोधित किया। उन्होंने विशेष रूप से योग्यता सूची में एक उम्मीदवार का नाम 'टी' रखा जो प्रस्ताव दिए जाने के बावजूद शामिल नहीं हुए। चूंकि अभ्यावेदन अनिर्णित रहा, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। अपीलार्थी-राज्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। उच्च अदालत ने याचिका का निपटारा किया और नियुक्ति प्राधिकरण को दावे की जांच करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने यह मानते हुए दावे को खारिज कर दिया कि रिक्तियों को विलंबित चरणों में नहीं भरा जा सकता है; और यह कि नियुक्ति प्रतीक्षा सूची के अनुसार नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि इसकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। प्रतिवादी ने आदेश के विरूद्ध अवमानना याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि प्रतिवादी नियुक्ति के योग्य है और अपीलकर्ता-राज्य को इस मुद्दे पर विचार करने

और न्यायालय के फैसले के अनुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता-राज्य को इस मुद्दे पर विचार करने और न्यायालय के फैसले के अनुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ताओं ने यह दलील देते हुए एलपीए दायर किया कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज प्रकृति के निर्देश अवमानना क्षेत्राधिकार प्रयोग में स्वीकार्य नहीं थे। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपील को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने माना:

1. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों मे, अपीलार्थियों को कनिष्ठ इंजीनीयर (सिविल) ग्रेड-॥ के पद पर प्रतिवादी को नियुक्त करने का निर्देश देना उचित और उचित होगा।

भले ही उम्मीदवार जो योग्यता में उच्च थे उन्हें जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ पद पर नियुक्ति की पेशकश की गई थी, जिसके लिए भर्ती आयोजित की गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि योग्यता में उच्च व्यक्ति उत्तरदाता ने नियुक्ति की पेशकश के बावजूद शामिल होने से इनकार कर दिया था। कम से कम एक ऐसी रिक्ति तो कभी नहीं भरी गई। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी का दावा, जिसका नाम योग्यता/चयन सूची में आया है, को उक्त पद पर नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए थी। प्रतिवादी के दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। नियुक्ति का

प्रस्ताव जिसके लिए प्रत्यर्थी नियुक्त किया जाएगा, नियमों के तहत विचार की गई अनुमेय तिथि तक संवर्ग की सेवा की शर्तें निर्धारित करने से वापस संबंधित होगा। उत्तरदाता चयन की उसी प्रक्रिया से नियुक्त किए गए लोगों से तुरंत नीचे वरिष्ठता का हकदार होगा। चूँकि प्रत्यर्थी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, वह केवल तत्काल आदेश की तारीख से ही वेतन पाने का हकदार होगा। [पैरा 10 और 18] [656-जी-एच; 657-ए-सी; 663-एफ-जी]

1.2. प्रतीक्षा सूची से बाहर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के दावे को अस्वीकार करने का कारण अनुचित है। जिन पदों के लिए भर्ती की गयी है, उनकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रतीक्षा सूची काम करना शुरू करेगी। प्रतीक्षा सूची का संचालन तब शुरू होगा, जब मेरिट सूची के शीर्ष पर आने वाले को नियुक्ति के प्रस्ताव जारी किए गए जाएंगे और जिन रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई है उन्हें भर दिया जाएगा। मौजूदा मामले में, प्रतीक्षा सूची संचालित करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, क्योंकि जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ के पदों में से एक जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी, वास्तव में कभी नहीं भरी गई थी। [पैरा11] [657-ई-जी]

1.3. भले ही तर्कों के लिए यह मान लिया जाए कि सभी जिन पदों के लिए चयन किया गया था, उन्हें विधिवत भरा गया था। वर्तमान मामले

के तथ्यों में प्रतीक्षा सूची की वैधता का निर्धारण 22.4.2008 के संदर्भ में किया जाना है। क्योंकि 'टी' उम्मीदवार, (जो शामिल नहीं हुआ) को नियुक्ति का प्रस्ताव 22.4.2008 पर दिया गया था। यह उक्त रिक्ति है, जिसके लिए प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में संपर्क किया था। उपरोक्त के विपरीत, अपीलार्थियों द्वारा आक्षेपित आदेश में यह दर्ज की गई स्वीकृत स्थिति है, कि प्रतीक्षा सूची मई,2008 तक वैध थी। यदि 'टी' विचाराधीन रिक्ति के खिलाफ नियुक्ति के लिए योग्य पाया गया था तो प्रतिवादी इसमें नियुक्ति के लिए समान रूप से पात्र होंगे। [पैरा11] [658-ए-डी]

विरेन्द्र एस.हुड्डा बनाम हरियाणा राज्य (1999) 3 एससीसी 696; मुकुल सैकिया बनाम असम राज्य (2009) 1 एससीसी 386: 2008 (16) एससीआर 236-पर भरोसा किया गया।

2.1. अवमानना मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां सलाहकारी प्रकृति की थीं।अवमानना क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी के दावे पर विचार करते समय बिंदू से चूक करने के बजाय, उच्च न्यायालय ने अपने विवेक से, अपीलकर्ताओं से अपीलकर्ताओं द्वारा की गलती को सुधारने की अपेक्षा की। उच्च न्यायालय ने पहली बार में अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं ने तकनीकी दलील पर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौति देने के लिए अनावश्यक रूप से एक पत्र पेटेंट अपील को

प्राथमिकता दी कि उच्च न्यायालय अपने अवमानना क्षेत्राधिकार के प्रयोग में प्रतिवादी के दावे के गुणों से निपट नहीं सकता था। [पैरा14] [661डी-जी]

पृथ्वी नाथ राम बनाम झारखंरड राज्य और अन्य। (2004) 7 एससीसी 261: 2004 (3) पूरक। एससीआर 740; वी.एम.मनोहर प्रसाद बनाम एन. रत्नम राजू और अन्य (2004) 13 एससीसी 610; मिदनापुर पीपुल्स सहकारिता बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम चुनिलाल नंदा और अन्य। (2006) 5 एससीसी 399: 2006 (2) पूरक। एससीआर 986- संदर्भित किया गया।

2.2. हालांकि अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई तकनीकी दलीलें पीरी तरह से वैध हैं, लेकिन वर्तमान मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में अदालत अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई तकनीकी दलीलों पर बहस और निर्णय लेने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करेगीं अदालत तत्काल मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगी। तत्काल अपीलों पर विचार करने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा जिसके लिए प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आपत्तियों के मनोरंजन से सर्वोच्च अपीलार्थियों द्वारा दायर

किए जाने के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए दावे के गुण-दोष से विचलन होगा। [पैरा16][662-ई-जी]

2.3. राज्य कोई विरोधी नहीं है और उसे तत्काल मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में उस तरीके से व्यवहार नहीे करना चाहिए, जैसा उसने चुना है। पहले उदाहरण में, यह प्रतिवादी द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर उच्च न्यायालय के समक्ष जवाब पेश करने में भी विफल रहा। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादी को न्याय देने में देरी न हो, उच्च न्यायालय ने मामले को गुण-दोष के आधार पर 2 तय करने के बजाय, नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतिवादी के दावे पर विचार करने का निर्देश देना उचित ओर उचित समझा, जिसके परिणामस्वरूप 'टी ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ का पद पर शामिल होने के लिए इन्कार कर दिया। मुख्य रूप से, क्योंकि प्रतिवादी ने राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, अपीलकर्ताओं ने उनके दावे को पूरी तरह से अनुचित आधार पर खारिज कर दिया।प्रतिवादी द्वारा उठाए गए दावे की खूबियां पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, अपीलार्थियों ने ऐसी कार्यवाही शुरू करने का विकल्प चुना जो कानूनी प्रक्रिया 4 को दावे के गुण-दोष से विचलित कर दे। [पैरा17] [662-जी-एच; 663-ए-सी]

मामला कानून संदर्भः

(1999) 3 एससीसी 696 उस पर भरोसा करें पैरा 13

2008 (16) एससीआर 236 उस पर भरोसा करें पैरा 13

2004 (3) पूरक। एससीआर 740 संदर्भित पैरा 15

(2004) 13 एससीसी 610 संदर्भित किया गया है पैरा 15

2006 (2) पूरक। एससीआर 986 संदर्भित पैरा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं.- 938-939/2013।

उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर, जम्मू 2012 एलपीएसी सं. 2 में और 2012 सीएमपी संख्या 3 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 03.04.2012 से

अपीलार्थियों के लिए गौरव पचनंदा, सुनील फर्नांडीस, वर्निका तोमर, आस्था शर्मा, राहुल शर्मा, इंशा मीर।

प्रत्यर्थी की ओर से सकल भूषण, पी.डी. शर्मा।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था जगदीश सिंह खेहर, जे. 1. छुट्टी दी गई।

2. जम्मू और कश्मीर राज्य के लोक निर्माण विभाग ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ के पदों के खिलाफ भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया का संचालन किया। सतपाल, उत्तरदाता ने उपरोक्त चयन प्रक्रिया में भाग लिया। वह सफल रहे, क्योंकि चयन प्रक्रिया के अंत में तैयार की गई अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता/चयन सूची में उनका

नाम शामिल था। यह जानने पर कि योग्यता/चयन सूची में उनसे ऊपर कुछ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार नियुक्ति की पेशकश किए जाने के बावजूद सूची में शामिल नहीं हुआ थे, सतपाल ने उपलब्ध रिक्ति के खिलाफ नियुक्ति की मांग करने वाले अपीलकर्ताओं को एक अभ्यावेदन दिया। अपने अभ्यावेदन में, उन्होंने चयनित उम्मीदवारों में से एक के रूप में त्रिलोक नाथ के नाम का उल्लेख किया, जिन्हें नियुक्ति की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। अपने अथ्यावेदन में उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से संबंधित योग्यता/चयन सूची में उनका नाम उक्त त्रिलोक नाथ के नाम के ठीक बाद था।

3. चूंकि प्रतिवादी द्वारा दायर अभ्यावेदन अनिर्णित रहा, इसलिए उसने 2009 की एसडब्ल्यूपी संख्या 1156 दाखिल करके जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय से संपर्क किया। उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थी सतपाल ने अपने अभ्यावेदन में उनके द्वारा प्रतिपादित तथ्यात्मक स्थिति को दोहराया। त्रिलोक नाथ के संबंध में अपने दावे की पुष्टि करने के लिए कि हालांकि उपरोक्त त्रिलोक नाथ को 22.4.2008 को जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ के पद पर नियुक्ति की पेशकश की गई थी, त्रिलोक नाथ ने इसके खिलाफ ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 5.5.2008 को एक मुख्य अभियंता (आर एंड बी) विभाग जम्मू,

द्वारा जारी एक पत्र में यह बताते हुए कि त्रिलोक नाथ जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ के पद के खिलाफ शामिल होने के इच्छुक नहीं थे।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने प्रचलित नियम पर भरोसा किया, जिसके तहत प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिए वैध थी। तथ्य यह है कि प्रचलित नियमों की परिकल्पना की गई है कि प्रस्तावित नियुक्ति की निरंतरता में उम्मीदवारों की योग्यता सूची/प्रतीक्षा सूची का गठन करेगी, और एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, हमारे सामने यह विवादित नहीं था।

5. उच्च न्यायालय द्वारा 2009 के एसडब्ल्यूपी संख्या 1156 में राज्य सरकार को नोटिस जारी करने और याचिका दायर करने की आवश्यकता के वबावजूद राज्य सरकार यानी इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। अपीलकर्ताओं का अधिकार दिनांक 5.4.2010 के एक आदेश द्वारा आपत्तियां दर्ज कराने का कार्य बंद कर दिया गया था। इस मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक था कि प्रतिवादी द्वारा उसके समक्ष दिए गए दावे सत्य थे और विवाद के अंतिम निर्धारण के लिए स्वीकार्य थे। उपरोक्त के बावजूद, उच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर पर रिट याचिका का निस्तारण कर दिया तथा दिनांक 5.5.2008 को मुख्य अभियंता (आर एंड बी) विभाग, जम्मू द्वारा जारी किये गए संचार को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति

प्राधिकारी को कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के दावे की जांच करने का निर्देश दिया जिसमें पुष्टि की गई कि त्रिलोक नाथ, जिन्हें संदर्भ के तहत पद के खिलाफ नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था, ने शामिल होने से इन्कार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इसमें अपीलकर्ताओं से एक अपेक्षा की कि वे उच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति उपलब्ध होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, प्रतिवादी की नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय लें।

6. उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में2009 के एसडब्ल्यूपी संख्या 1156 के आदेश दिनांक 9.8.2010 के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने 23.8.2011 को एक आदेश पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 23.8.2011 द्वारा, जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ के पद पर निम्नलिखित कारणों से नियुक्ति के लिए प्रतिवादी का दावा खारिज कर दिया था-

(1) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भर्ती के संबंध में जारी प्रतीक्षा सूची मई, 2008 में ही अपनी वैधता समाप्त कर चुकी है, उसे उसी के अनुसार नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

(2) और कि उपरोक्त कारण से, रिक्तियां विलंबित चरणों में नहीं भरी जा सकती है।

7. दिनांकित 23.8.2011 के अस्वीकृति आदेश से व्यथित होकर, एक नई रिट याचिका के माध्यम से उस पर हमला करने के बजाय, प्रतिवादी ने 2011 के एसडब्ल्यूपी संख्या 157 में अवमानना याचिका दायर की। उपरोक्त अवमानना याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2011 के आदेश के तहत निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निपटाया गया था-

"याचिकाकर्ता का जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ के रूप में नियुक्ति का दावा चयन सूची/प्रतीक्षा सूची की वैधता के दौरान उत्पन्न हुआ। यह कर्तव्य सक्षम प्राधिकारी पर डाला गया, जो चयन सूची/प्रतीक्षा सूची से रिक्तियों को भरने में असफल रहें। वह अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहे। यह याचिकाकर्ता की गलती नहीं है कि चयन सूची/प्रतीक्षा सूची की वैधता के दौरान नियुक्ति के लिए उसके दावे पर विचार नहीं किया गया, गलती प्राधिकारी द्वारा की गई है और याचिकाकर्ता को इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। जब चयन सूची/प्रतीक्षा सूची चालू थी, तो योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता का दावा जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ के पद पर नियुक्त होने की अनुमति के योग्य था। अनुरोध किए जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया है, नियुक्त किए जाने पर विचार करने का उसका अधिकार इस प्रकार जीवित रहेगा, हालांकि ऐसे दावे पर चयन सूची/ प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद सरकार द्वारा विचार किया गया था।

सरकार द्वारा जारी विचार आदेश अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करता है। इस अवमानना याचिका में नियम बनाने की कार्रवाई शुरू करने से पहले, उत्तरदाताओं को पूरे मुद्दे पर विचार करने और न्यायालय के फैसले के अनुसार आदेश पारित करने का अवसर देना उचित होगा। पूरे मुद्दे पर किए गए निरिक्षण के आधार पर उत्तरदाताओं को चार सप्ताह का समय दिया गया है तथा अगली तारीख तक या उससे पहले अनुपालना रिर्पोट दाखिल करनी होगी।

8. यहां अपीलकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2011 के अवमानना (एसडब्ल्यूपी) संख्या 157 में जारी आदेश से व्यथित थे। चूंकि प्रतिवादी को लगा कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश उपरोक्त आदेश में अवमानना क्षेत्राधिकार में स्वीकार्य नहीं थे। इसलिए अपीलकर्ताओं ने दिनांक 29.10.2011 को उच्च न्यायालय द्वारा जारी 2011 के एसडब्ल्यूपी संख्या 157 के अवमानना आदेश को चुनौती देने के लिए एक पत्र पेटेंट अपील को प्राथिमकता दी। दिनांक 29.10.2011 तथा 3.4.2012 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की वर्तमान अपीलों के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा आलोचना की गई है।

9. मौजूदा विवाद एक निर्दोष नागरिक के वैध दावे के खंडन का एक और उदाहरण है। 2009 के एसडब्ल्यूपी संख्या 1156 के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा उठाए गए दावे की सराहना करने की

बजाय, जिस पर अपीलकर्ता अपना जवाब दाखिल करने में भी विफल रहे, उसे दिनांक 5.4.2010 के एक आदेश द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने एक ऐसा रास्ता चुना है, जो मुख्य विवाद को दरकिनार कर देगा। अपनाया गया रास्ता न तो उनके स्वयं के उद्देश्य को पूरा करेगा, न ही प्रतिवादी सतपाल के उद्देश्य को पूरा करेगा।

10. यह विवाद का विषय नहीं है कि प्रतिवादी सतपाल ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ के पद पर चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। इस बात पर भी विवाद नहीं है कि उनका नाम अनुसूचित जाति केे उम्मीदवारों की योग्यता/ चयन सूची में शामिल है। त्रिलोक नाथ, जिन्हें 22.4.2008 को जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ के पद पर नियुक्ति की पेशकश की गई थी, नियुक्ति की पेशकश के बावजूद, वह शामिल नहीं हुए। यह तथ्य मुख्य अभियंता (आर एंड बी) विभाग, जम्मू द्वारा जारी आदेश दिनांक 5.5.2008 से पूरी तरह प्रमाणित है। फिर भी, जो अभ्यर्थी योग्यता में उच्चतर थे, उन्हे जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ के पद पर नियुक्ति की पेशकश की गई थी, जिनके लिए भर्ती आयोजित की गई थी। ऐसे कुछ पद इस तथ्य के कारण रिक्त रह गए कि योग्यता में प्रतिवादी सतपाल से जो उच्चतर व्यक्ति थे, उन्होने नियुक्ति में शामिल होने से इन्कार कर दिया। कम से कम त्रिलोक नाथ को दी गई ऐसी एक भी रिक्ति कभी नहीं भरी गई। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी सतपाल का दावा, जिसका नाम योग्यता/चयन सूची में था, को उक्त पद पर नियुक्ति की पेशकश की जानी

चाहिए थी। प्रतिवादी सतपाल के दावे का अस्वीकार नहीं किया जा सकता था, विशेष रूप से उनके दावे के कारण कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के बीच योग्यता/चयन सूची में उनका नाम त्रिलोक नाथ के ठीक नीचे था, इस न्यायालय के समक्ष दलीलों में भी विवादित नहीं था। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं का मामला यह नहीं है कि चयन सूची में सतपाल से उपर का कोई भी अन्य उम्मीदवार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में उपलब्ध है, और उसे उस पद की पेशकश की जा सकती है जिसके खिलाफ त्रिलोक नाथ शामिल नहीं हुए थे।

11. ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रतीक्षा सूची से बाहर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी सतपाल के दावे को अस्वीकार करने में अपीलकर्ताओं द्वारा बताया गया कारण स्पष्ट रूप से अनुचित है। जिन पदों के लिए भर्ती आयोजित की गई है, उनकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रतीक्षा सूची का संचालन शुरू होगा। प्रतीक्षा सूची का संचालन तब शुरू होगा, जब योग्यता सूची में शीर्ष पर आने वालों को नियुक्ति के प्रस्ताव जारी किए जाएंगे। प्रतीक्षा सूची का अस्तित्व नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीक्षा सूची के अस्तित्व के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए जगह देता है। जिन रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई है, उन्हे भरने के बाद प्रतीक्षा सूची का संचालन शुरू होता हैं तत्काल विवाद में प्रतीक्षा सूची संचालित करने की उपरोक्त स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। क्योंकि जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ के

पदों में से एक के लिए भर्ती प्रक्रिया वास्तव में कभी नहीं भरी गई थी। जिन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थीए उनमें से एक पद पर त्रिलोक नाथ ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था, वह खाली रहा। इसके अलावा, भले ही यह तर्कों के लिए माना जाए कि सभी पद जिनके लिए चयन की प्रक्रिया आयोजित की गयी थी, विधिवत भरे गए थे, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि त्रिलोक नाथ, जिन्होने यहां प्रतिवादी के रूप में उसी चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। 22.4.2008 को जूनियर इंजीनियर (सिविल) ग्रेड-॥ के पद पर नियुक्ति की पेशकश की गई। उपरोक्त प्रस्ताव उनके चयन के परिणामस्वरूप दिया गया था।

इस मामले के तथ्यों में प्रतीक्षा सूची की वैधता 22.4.2008 को रिक्ति की पेशकश की गई थी। यह उक्त रिक्त् है, जिसके लिए प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उपरोक्त के विपरित, दिनांक 23.8.2011 के आक्षेपित आदेश में अपीलकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतीक्षा सूची मई, 2008 तक वैध थी। यदि त्रिलोक नाथ को रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति के लिए पात्र पाया गया था उसी प्रतीक्षा सूची से प्रश्न पूछने पर, यहां प्रतिवादी उक्त रिक्ति के विरूद्ध समान रूप से पात्र होगा। जहां तक मौजुदा विवाद का सवाल है, यह निर्विवाद कानूनी स्थिति होगी।

12.संबंधित पक्षों द्वारा अभ्यावेदन दाखिल करने की तिथि या वह तिथि जिस पर सक्षम प्राधिकारी प्रश्न में रिक्ति को भरने के लिए चुनता है, उसका कोई महत्व नहीं है। एकमात्र प्रासंगिक तिथि रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध रिक्ति को न भरने का निर्णय जलेता है तो यह एक अलग कानूनी प्रस्ताव होगा। प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों की उपलब्धता के बावजूद 22.4.2008 को त्रिलोक नाथ को दिए गए प्रस्ताव से यह निष्कर्ष निकलता है कि संदर्भ के तहत रिक्त् एक वर्ष की अवधि के भीतर, यानी नियमों द्वारा निर्धारित प्रतीक्षा सूची की वैधता की अवधि के दौरान उत्पन्न हुई थी। त्रिलोक नाथ को रिक्ति की पेशकश, उपर दिए गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, अर्थात् नियोक्ता की रिक्ति को ने भरने की इच्छा। इसमें अपीलकर्ता संदर्भ के तहत रिक्ति को न भरने की इच्छा। इसमें, अपीलकर्ता संदर्भ के तहत रिक्ति को भरना चाहते थे। इसके अलावा, यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रतिवादी पदों के अलावा किसी रिक्ति पर नियुक्ति की मांग कर रहा था जिसके लिए भर्ती आयोजित की गई थी।

उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलकर्ताओं को उस रिक्ति के खिलाफ प्रतिवादी सतपाल को नियुक्त करना चाहिए था, जिसकी पेशकश त्रिलोक नाथ को की गई थी।

13. इसमें विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका है। सबसे पहले मामले में इस न्यायालय द्वारा वीरेन्द्र एस. हुड्डा बनाम हरियाणा राज्य (1999) 3 एससीसी 696 में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। तत्काल मामले में प्रशासनिक निर्देशों की परिकल्पना की गई है कि रिक्तियां जो लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश पर छह महीने के भीतर अस्तित्व में आईं उन्हें चयन की पिछली प्रक्रिया से भरी जा सकती है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में तत्काल मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ नीचे दी जा रही हैः

"सच्चाई यह है कि और रिक्तियां उपलब्ध थीं और जब 9 रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन दिया गया था, इसकी घोषणा के छह महीने के भीतर पिछला चयन बिल्कुल भी विवादित नहीं हो सकता है। दिनांक 22.3.1957 और 26.5.1972 पर सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के संदर्भ में, जब ऐसी रिक्तियां जनता की सिफारिश प्राप्त होने के छह महीने के भीतर उत्पन्न होती हैं, जनता की अनुशंसा प्राप्त होने से सेवा आयोग से उन्हें भरना होगा। आयोग द्वारा रखी गई प्रतीक्षा सूची के संबंध में छह महीने की समाप्ति के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए आयोग को अनुरोध भेजना आवश्यक है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आयोग विभाग के लिए एक पद के संबंध में सिफारिशें और विभाग में अतिरिक्त रिक्तियां होती है, फिर बाद में होने वाली रिक्तियां अतिरिक्त अभ्यर्थियों में से भरा जा सकता है। अपीलार्थियों के पत्र दिनांक 7.1.1992 से संकेत मिलता है कि हरियाणा सिविल सेवा में कैडर की संख्या (कार्यकारी) 440 थी और इन पर अधिकारी लगभग 129 थे व 111 की कमी थी और 23 पदों को सीधी भर्ती से भरना था। इस प्रकार 1991 में जब भर्ती के लिए विज्ञापन दिया गया था तब सीधी भर्ती के लिए 12 पद खाली थी। इसलिए सरकार को अपीलार्थियों के मामले पर उनके द्वारा प्राप्त रैंक के अनुसार विचार किया जाना चाहिए था जब कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति न होने के कारण कुछ रिक्तियों उत्पन्न हुईं। इसलिए, सरकार को अपीलकर्ताओं के मामले पर उनके द्वारा प्राप्त रैंक के अनुसार विचार करना चाहिए था और यदि अपीलकर्ता चयन की सीमा में आते थे तो उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए था। इस प्रकार जब ये रिक्तियां पिछले चयन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उत्पन्न होती हैं तो परिपत्र आकर्षित होते हे। और इस उच्च न्यायालय का विचार हैै कि चयन प्रक्रिया शुरू होन के बाद रिक्तियां उत्पन्न हुईं, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं और यह सरकार की घोषित नीति के विपरीत है। ऐसे पदो को प्रतीक्षा सूची से भरने की बात है।"

इस न्यायालय ने भी उसी मुद्दे पर विचार किया है जिसमें प्रतीक्षा सूची से रिक्तियों को भरने के लिए कोई नियम/प्रशासनिक निर्देश नहीं थे।

उपरोक्त मुद्दे की जांच करते समय उच्च न्यायालय रिपोर्ट [2013] 2 एस.सी.आर. 650 इस न्यायालय ने मुकुल सैकिया बनाम असम राज्य (2009) 1 एससीसी 386 में निम्नानुसार निर्णय लिया-

> ‘‘सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एपीएससी द्वारा तैयार की गई चयन सूची का उपयोग अधिसूचित रिक्तियों को भरने के लिए किया जा सकता है, न कि भविष्य की रिक्तियों के लिए। यदि मांग और विज्ञापन केवल 27 पदों के लिए था तो राज्य विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक नियुक्ति नहीं कर सकता है। भले ही एपीएससी ने 64 उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार की थी, लेकिन जब सभी 27 नियुक्त उम्मीदवारों से नीचे के उम्मीदवारों को किसी भी रिक्ति पर नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है जिसके संबंध में चयन नहीं किया गया था। तथ्य यह है कि स्पष्ट रूप से और स्वीकार्य रूप से अपीलकर्ताओं के नाम दिनांक 17.7.2000 की सूची में नीचे दिए गए मामले का फैसला गुण-दोष के आधार पर उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता था यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिवादी को न्याय में देरी न हो, उच्च न्यायालय ने नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतिवादी के दावे पर विचार करने का का निर्देश देना उचित समझा, जिसके

परिणामस्वरूप त्रिलोक नाथ ने कनिष्ठ अभियंता (सिविल) ग्रेड-॥ के पद पर शामिल होने से इंकार कर दिया। क्योंकि, प्रतिवादी सतपाल ने राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, अपीलकर्ताओं ने पूरी तरह से अनुचित आधार पर उसके दावे को खारिज कर दिया। प्रतिवादी सतपाल द्वारा उठाए गए दावे की खूबियों से भटका देगा। यदि हमने अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई तकनीकी दलीलों के आधार पर प्रतिवादी सतपाल को नोटिस जारी किया होता, तो प्रतिवादी सतपाल इस न्यायालय के समक्ष अपना बचाव करने की स्थिति में भी नहीं होता। इस न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करना एक महंगा प्रस्ताव है। एक गरीब अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को शक्तिशाली राज्य के हाथों अनावश्यक उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया जा सकता है। उपरोक्त कारणों से, तत्काल मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए तत्काल आदेश पारित किया जा रहा है।"

18. यहां उपर हमारे द्वारा कानूनी स्थिति के मद्देनजर की गई तथ्यात्मक चर्चा पर हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं को कनिष्ठ अभियंता (सिविल) ग्रेड-॥ के पद पर प्रतिवादी सतपाल को नियुक्त करने का निर्देश देना उचित होगा। नियुक्ति का उपरोक्त प्रस्ताव उस कैडर की सेवा शर्तों को

निर्धारित अनुमेय तिथि से संबंधित होगा, जिस पर प्रतिवादी सतपाल की नियुक्ति की जाएगी। स्वाभाविक रूप से, प्रतिवादी उसी चयन प्रक्रिया से नियुक्त किए गए लोगों से ठीक नीचे वरिष्ठता का हकदार होगा। चूंकि सतपाल ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, इसलिए वह केवल तत्काल आदेश की तारीख से ही वेतन का हकदार होगा।

19. उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारण किया गया।

के.के.टी. अपीले निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संदीप कुमार शर्मा आर.जे.एस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।